"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172-अ ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2002—आषाढ़ 17, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

[ वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-6/2002/वा. कर (आब.)/पांच (78).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा 2 के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में और संशोधन करता है, यथा—

उक्त नियमों में—

1. नियम 8 उप नियम (1) का खण्ड (ट) विलोपित किया जाकर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :

(ट) एफ. एल. 10 (विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुज्ञप्ति)

यह अनुज्ञप्ति केवल छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिये होगी. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के केवल उन ब्राण्डों तथा लेबिलों का क्रय तथा भण्डारण कर सकेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत पंजीकृत हो.

अनुज्ञप्तिधारी एफ. एल. 9, एफ. एल. 9 क और बी-1 क के अनुज्ञप्तिधारी से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर इसी प्रकार के अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा का क्रय/अन्तरण कर सकेगा. जो उनके द्वारा निर्मित/बाटलिंग की गई हो. लायसेंसी प्रचलित नियमों के अनुसार आयात शुल्क आदि चुकाएगा.

एफ. एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किये गये एवं भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा स्टाक को प्रदेश के किसी भी एफ. एल.1क एफ. एल. 1 क क, एफ. एल. 1 क क क अथवा एफ. एल. 1 घ अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित किया जा सकेगा. अनुज्ञप्तिधारी सुविधा अनुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मदिरा भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-6/2002/वा.कर (आब.)/पांच (78).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-6/2002/वा.कर (आब.)/पांच (78), दिनांक 8 जुलाई, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** उप-सचिव.

Raipur, the 8th July 2002

NOTIFICATION

No. F-10-6/2002/CT (Ex.)/V (78).—In exercise of the powers conferred by Clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby further amends Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, namely—

In the said rules—

1. Clause (k) of sub rule (1) of rule 8 shall be omitted and following shall be substituted, namely :

(k) F. L. 10 (Manufacturer's Distribution Licence)

The licence shall be exclusively for Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited, Raipur. The licensee may purchase and stock foreign liquor of only those brands and labels, which are registered under rule 9.

The licensee may puchase/transfer stock of foreign liquor, from F.L. 9, F.L .9 A, and B-1 A licensess or from similar licensees out side Chhattisgarh State the stock manufactured/bottled by them. The licensee shall pay import fee etc., as per prevailing rules.

The stock thus procured and stocked by the F.L. 10 licensee, may be sold to F.L. 1 A, F.L. 1 AA, F.L.1 AAA. or F.L. 1 D licensees. The licensee may stock and sell foreign liquor at more than one places/districts, as may be convenient.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-63/2002/वा. कर/पांच (79).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

## अनुसूची

| अ. क्र. (1) | माल का वर्ग (2) | छूट की सीमा (3) |
|---|---|---|
| 1. | सोना बुलियन | अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाय. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-63/2002/वा.कर/पांच (79) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-63/2002/वा.कर/पांच (79), दिनांक 8 जुलाई, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

Raipur, the 8th July 2002

## NOTIFICATION

No. F-10-63/2002/CT/V (79).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby exemps the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam from the date of publication in official gazette till 31st March, 2003, to the extent specified in column (3) of the said Schedule :—

SCHEDULE

| S. No. (1) | Class of goods (2) | Extent of exemption (3) |
|---|---|---|
| 1. | Gold bullion | Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 0.5%. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secreta

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.